

आधार के साथ आवेदन करने के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्पष्टीकरण		
	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1.	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में आधार नामांकन के लिए आवेदन किया है किन्तु उन्हें आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है।	ऐसे अभ्यर्थियों को आधार केन्द्र द्वारा जारी आधार नामांकन पर्ची पर छपी 14 अंकों की आधार नामांकन संख्या को (स्लैश के साथ) दर्ज करते हुए आवेदन करना होगा।
2.	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में आधार विवरण में अद्यतनीकरण (बायोमीट्रिक अद्यतन सहित) के लिए आवेदन किया है और संशोधित आधार विवरण के साथ आवेदन करने में असमर्थ हैं।	ऐसे अभ्यर्थियों को आधार केन्द्र द्वारा जारी आधार अद्यतन पर्ची पर छपी 14 अंकों की आधार अद्यतन अनुरोध संख्या को (स्लैश के साथ) दर्ज करते हुए आवेदन करना होगा।
3.	आवेदन पत्र भरने के प्रथम चरण में ही आधार प्रमाणन विफल हो गया है।	अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आधार कार्ड में उल्लिखित विवरण को उन्होंने सही-सही दर्ज किया है।
4.	आधार कार्ड पर जन्मतिथि पूर्णतः उल्लिखित नहीं है या गलत उल्लिखित है या केवल जन्म का वर्ष ही उल्लिखित है।	ऐसे अभ्यर्थियों को आधार विवरण में सुधार के लिए आधार केन्द्र पर आवेदन करना चाहिए तथा सुधार के लिए प्रस्तुत अनुरोध के बाद आधार केन्द्र द्वारा जारी पर्ची पर छपी 14 अंकों की आधार अद्यतन अनुरोध संख्या को (स्लैश के साथ) दर्ज करते हुए आवेदन करना चाहिए।
5.	आधार में उल्लिखित अभ्यर्थी का नाम स्कूल के अभिलेखों में दर्ज नाम के अनुरूप न हो।	ऐसे अभ्यर्थियों को आधार विवरण में सुधार के लिए आधार केन्द्र पर आवेदन करना चाहिए तथा सुधार के लिए प्रस्तुत अनुरोध के बाद आधार केन्द्र द्वारा जारी पर्ची पर छपी 14 अंकों की आधार अद्यतन अनुरोध संख्या को (स्लैश के साथ) दर्ज करते हुए आवेदन करना चाहिए।
6.	आधार में उल्लिखित पिता /माता का नाम स्कूल के अभिलेखों में दर्ज नाम से हूबहू न मिलता हो। आधार में उल्लिखित पता स्थानान्तरण या किसी अन्य कारण से परिवर्तित हो गया है।	इन विवरणों का मिलान आधार के आंकड़ों के साथ नहीं किया जाता है इसलिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इन विवरणों को स्कूल के अभिलेखों के अनुसार ही सही-सही भरें। वर्तमान/स्थायी पते को भी तदनुसार ही सही-सही भरा जाए।
7.	असम /जम्मू व कश्मीर/ मेघालय के ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास आधार कार्ड है।	इन राज्यों के उन अभ्यर्थियों को जिनके पास आधार कार्ड हैं उन्हें केवल अपना आधार विवरण ही दर्ज करने की आवश्यकता है।
8.	असम /जम्मू व कश्मीर/ मेघालय के ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।	इन राज्यों के उन अभ्यर्थियों को जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें अपनी पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या या अन्य कोई वैध सरकारी दस्तावेज जिन पर उनका पता उल्लिखित हो, दर्ज करने की आवश्यकता है। इन आवेदकों को परीक्षा केन्द्र पर अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ वही दस्तावेज लाना होगा जिसका उन्होंने अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया है।